

XVI



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साधारण

EXTRAORDINARY

पां II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, राजधानी, मई 31, 2002/ज्यैष्ठ 10, 1924

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTA 10, 1924

रेल भवित्वालय

(रेलवे बोर्ड)

बिहार

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

सा.बा.नि 394(आ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 200 की उप-धारा (2) के संड (क) के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 198 द्वारा प्रदत्त शब्दार्थों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संबंधित नाम भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र में हुनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण नियम, 1976, में—

(क) नियम 4.09 के उप-नियम (3) में, "ऐसे कागज पर होगा जो दोनों ओर हस्त होगा" शब्दों के स्थान पर "सफेद कागज पर हरे पॉइंट में होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 14.25 में,—

(i) उप-नियम (1) में, दिए गए प्रत्येक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्—

फॉर्म सं. टी/सी 1425

क्रम सं.

..... रेलवे

पेपर लाइन विलयर टिकट

(ड्राइवरिकार्ड)

आप

गाढ़ी नं. डाउन (विवरण)

तारीख समय बज़कर मिनट

..... स्टेशन मास्टर से

गाढ़ी नं डाउन के द्वाइवर को

लाइन विलयर है और आपको स्टेशन के लिए आगे जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

अनियम गाढ़ी सं. ने स्टेशन पर सेवान विलयर किया.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) (अंकों में)

'फॉर्म' रिपोर्ट में विवरण यार फरने के लिए प्राप्तिकार

*आपको अनियम रोक सिग्नल को छतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिग्नल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.

..... स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

फॉर्म सं. टी/सी 1425

क्रम सं.

..... रेलवे

पेपर लाइन विलयर टिकट

(ड्राइवरिकार्ड)

आप

गाढ़ी नं. आप (विवरण)

तारीख समय बज़कर मिनट

..... स्टेशन मास्टर से

गाढ़ी नं आप के द्वाइवर को

लाइन विलयर है और आपको स्टेशन के लिए आगे जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

अनियम गाढ़ी सं. ने स्टेशन पर सेवान विलयर किया.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) (अंकों में)

'फॉर्म' रिपोर्ट में विवरण यार फरने के लिए प्राप्तिकार

*आपको अनियम रोक सिग्नल को छतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिग्नल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.

..... स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रेखा जाएगा अर्थात् :—

'(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट टिकट सफेद कागज पर नीले फॉन्ट में मुद्रित किए जाएंगे, अप और डाउन दिशाओं के लिए वेपर लाइन टिकटों में भेद करने के लिए टिकट पर 'अप' और 'डाउन' इग्निट करने आले फॉटोरमार्क तौर मुद्रित किए जाएंगे।'

[सं. 97/सेफटी (ए एंड आर)/29/16]

इम.सी. श्रीवास्तव, सदस्य, आताथात तथा पदेन सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा तरपत्रात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के एहत संशोधन किए गए :—

- (1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
- (2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
- (3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
- (4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
- (5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
- (6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
- (7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
- (8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
- (9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
- (10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
- (11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
- (12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,
- (13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2000 (शुद्ध पत्र)
- (14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2000 तथा
- (15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2000

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

G.S.R. 394(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60 read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2002.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(a) in rule 4.09, in sub-rule (3), for the words "on green paper, both faces being green", the words "on white paper with green font" shall be substituted;

(b) in rule 14.25,—

(i) in sub-rule (1), for the form, the following shall be substituted, namely :—

Form No. T/B 1425

RAILWAY

Sr. No. _____

PAPER LINE CLEAR TICKET

(Driver/Record)

Down

Number of Train Down (Description)

Date Time hours minutes.

From Station Master

To The Driver of Train No. Down

The line is clear and you are authorized to proceed to station.

Last train No. cleared section at Station.

Private No. (in words) (in figures)

AUTHORITY TO PASS SIGNAL AT 'ON' POSITION

*You are authorized to pass Last Stop Signal in danger, when the signal is interlocked with Block Instrument.

Signature of Station Master

Station Master's Stamp

*Strike out which ever is not applicable.

Form No. T/B 1425

RAILWAY

Sr. No. _____

PAPER LINE CLEAR TICKET

(Driver/Record)

Up

Number of Train Up (Description)

Date Time hours minutes.

From Station Master

To The Driver of Train No. Up

The line is clear and you are authorized to proceed to station.

Last train No. cleared section at Station.

Private No. (in words) (in figures)

AUTHORITY TO PASS SIGNAL AT 'ON' POSITION

*You are authorized to pass Last Stop Signal in danger, when the signal is interlocked with Block Instrument.

Signature of Station Master

Station Master's Stamp

*Strike out which ever is not applicable.

(ii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The ticket referred in sub-rules (1) and (2) shall be printed on white paper with blue font. To distinguish paper line clear ticket for up and down directions, water mark arrow pointing “up” and “down” shall be printed on the ticket.”

[No. 97/Safety (A&R)/29/15]
M. C. SRIVASTAVA, Member Traffic and Ex-Oficio Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide notification number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended Notification number :—

- (1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
- (6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
- (10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
- (11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
- (12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
- (13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000 (Corrigendum)
- (14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000 and
- (15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000.

175D G1/02-2

